

भारत के राजपत्र, अध्यापन, के भाग -11, पृष्ठ 3, 35-356 [111]
में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय पुस्तक भण्डार

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी, 97

अधिसूचना
आयकर

का0आ0 [3] आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 120 की उपधारा [11] और [2] द्वारा प्रदत्त शर्तियों का पूर्ण करते हुए केन्द्रीय पुस्तक भण्डार द्वारा भारत के राजपत्र, अध्यापन में दिनांक 9 जुलाई, 1993 को प्रकाशित दिनांक 9 जुलाई, 1993 की अधिसूचना सं0 का0आ0 548[3] में निम्नलिखित संशोधन करता है (2)
अर्थात:-

अनुसूची [क] में क्रम संख्या 12 में बाध्य 2,3 और 4 में वर्तमान प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधानों का प्रावधान :-

" मुख्य आयकर आयुक्त, नई दिल्ली [1] आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, नई दिल्ली ।

[11] आयकर आयुक्त, दिल्ली-1/1, नई दिल्ली ।

[111] आयकर आयुक्त, दिल्ली-1/1, नई दिल्ली ।

[111/1] आयकर आयुक्त, दिल्ली-1/111, नई दिल्ली ।

[11/1] आयकर आयुक्त, दिल्ली-11, नई दिल्ली ।

[3] क्रम संख्या 13 में वर्तमान प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधानों को रखा जाएगा, अर्थात :-

" मुख्य आयकर आयुक्त-II, दिल्ली, नई दिल्ली ।

[11] आयकर आयुक्त, दिल्ली-11, नई दिल्ली ।

[111] आयकर आयुक्त, दिल्ली-11, नई दिल्ली ।

आयकर आयुक्त, दिल्ली-२, नई दिल्ली

अधिसूचना संख्या 1025/21

5/6 अक्टूबर
स्व. के चौधरी

अवर सचिव, भारत सरकार

फ़ाइल सं० 187/22/75- आयकर नि०।

सेवा में

प्रधान,
भारत सरकार भवन,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
निकट राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली ।
=====

TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE
GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NEW DELHI THE 1 Jan. 1997

NOTIFICATION
(INCOME-TAX)

S.O. (E), - In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendment in the notification S.O.No.548 (E), dated 9th July, 1990 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 9th July, 1990, namely :-

In the schedule - (a) in Sl.No.12, for the existing entries in column 2, 3 and 4 the following entries shall be substituted, namely :-

"Chief Commissioner of Income-tax, Delhi, New Delhi.	New Delhi	(i) Commissioner of Income tax, Delhi-I, New Delhi.
		(ii) Commissioner of Income-tax, Delhi-IV, New Delhi.
		(iii) Commissioner of Income-tax, Delhi-VI, New Delhi.
		(iv) Commissioner of Income-tax, Delhi-VIII, New Delhi.
		(v) Commissioner of Income-tax, Delhi-XI, New Delhi.

(b) In Sl.No. 13, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :-

"Chief Commissioner of Income-tax-II, Delhi, New Delhi.	New Delhi	(i) Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi.
		(ii) Commissioner of Income-

(iii) Commissioner of Income-tax.
Delhi-X, New Delhi.

Notification No. 10254

H.K. Choudhary
(H.K. CHOUDHARY)
Under Secretary to the Government of India

(F.No. 189/22/95-ITA.I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden).
New Delhi.